उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार।

संख्या–176/05/E-2(CJ-JD)/2013-14 दिनांक 27 सितम्बर, 2013

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू.डि.) परीक्षा–2013** के अंतर्गत रिक्त 24 पदों (अनारक्षित 16, अजा 04, अजजा 01, अ.पि.व. 03) हेतु पात्र अभ्यर्थियों के चयन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इस संबंध में विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर दिनांक 28 सितम्बर 2013 को प्रसारित किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2013 है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार

दूरभाष संख्या– (01334) 244143, 242331,242332

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू.डि.)परीक्षा–2013

विज्ञापन संख्या – ए–1/ई–2/2013–14

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि – 28 सितम्बर, 2013

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि–5 अक्टूबर 2013

ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि – 26 अक्टूबर, 2013

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि – 31 अक्टूबर, 2013

वेबसाइट–www. ukpsc.gov.in

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1– अभ्यर्थी अपने उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0(एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

2– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

3– फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षो के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा।

4– आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5– एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

6– आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें।

7–अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये दिनांक 28 सितम्बर से 04 अक्टूबर 2013 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु ट्रायल की व्यवस्था की गयी है। उक्त के पश्चात अभ्यर्थी दिनांक 05 अक्टूबर 2013 से 26 अक्टूबर 2013 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।